न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 3/25 निर्णय दिनांकः 22.12.2025
(जीसीएमएस संख्या 2025/20)

1. नानक राम डूडी पुत्र स्व. छोगाराम डूडी जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चुरू।

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19–11–2024
उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितिः–
1. श्री आर.के. सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड़ अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 19–11–2024 जिसके द्वारा अपीलांट का मीडियम पेच आवंटन का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त फरमाया गया है के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि यह कि अपीलान्ट के नाम से पुख्ता आवंटन से खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 एस.एस.एम. तहसील पूगल हाल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के मुरब्बा नं. 47/51 के किला नं. 4 ता 7, 14, 15 में 6 बीधा कमाण्ड व मुरब्बा नं. 67/18 के किला नं. 3 ता 6. 9 ता 12 में 6 बीधा 19 बिस्वा कमाण्ड व किला नं. 1, 2, 7, 8, 13, 14, 18 में 7 बीधा 12 बिस्वा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 20 बीघा 11 बिस्वा कृषि भूमि है जिसका अपीलान्ट काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट को आवंटित व खातेदारी कृषि भूमि चक 7 एस.एस. एम. तहसील पूगल हाल तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के मुरब्बा नं. 67/18 के किला नम्बर 3 ता 6, 9 ता 12 में 6 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 2, 7, 8, 13, 14, 18 में 7 बीघा 12 बिस्वा कुल 14 बीघा 11 बिस्वा अनकमाण्ड के चिपती व इसी मुरब्बें में यानि मुरब्बा नं. 67/10 में ही किला नं. 1 ता 3, 10, 13, 14 तादादी 3.2877 हैक्टेयर कृषि भूमि आराजीराज है। उक्त भूमि मिडियम पेच में आवंटन करवाने हेतु अपीलान्ट ने दिनांक 21.08.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। राजस्व रिकॉर्ड में आज भी उक्त मुरब्बा नं. 67/10 में ही किला नं. 1 ता 3, 10, 13, 14 तादादी 3.2877 हैक्टेयर कृषि भूमि आराजीराज दर्ज है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी व गिरदावरी अपील के साथ प्रस्तुत है। उक्त भूमि मीडियम पेच में अपीलान्ट द्वारा आवंटन हेतु आवेदित कृषि भूमि मुरब्बा नं. 67/18 के किला नम्बर 3 ता 6, 9 ता 12 में 6 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 2, 7, 8, 13, 14, 18 में 7 बीघा 12 बिस्वा कुल 14 बीघा 11 बिस्वा अनकमाण्ड अपीलान्ट की खातेदारी कृषि भूमि है जिसके चिपती हुई ही उक्त अराजीराज भूमि स्थित है। उक्त आराजीराज भूमि को मिडियम पेच/स्माल पेच में आवंटन कराने का एकमात्र पात्र अपीलान्ट है व उक्त भूमि आवंटन कराने का सर्वप्रथम हक व अधिकार अपीलान्ट का है अन्य किसी का नहीं है। यह जानते हुवे भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का आवेदन पत्र खारीज करने में घोर कानूनी भुल व त्रुटी की है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारीज करने योग्य है। मुरब्बा नं. 67/10 में ही किला नं. 1 ता 3, 10, 13, 14 तादादी 3.2877 हैक्टेयर कृषि भूमि पर शुरू से ही अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मिडियम पेच में आवंटन हेतु अपीलान्ट के आवेदन पत्र को अपीलान्ट के कब्जे काश्त की जांच करवाये बिना अपीलान्ट का आवेदन सरसरी तौर पर अपीलान्ट की पात्रता व प्राथमिकता को ध्यान में रखे बिना निरस्त किया है। अपीलान्ट का मिडियम पेच हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को खारीज करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सफाई का अवसर प्रदान नहीं किया। साक्ष्य व सबुत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। अपीलान्ट के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का आवेदन उक्त वादग्रस्त भूमि का मिडियम पेच/स्माल पेच में आवंटन कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में कतई विचाराधीन नहीं था न है। हल्का पटवारी व टी.आर.ए. ने अन्य के नाम आवंटन व राशि जमा होने की गलत झूठी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

सूचना व रिपोर्ट गैर कानूनी, गलत व अनुचित तरीके से अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह करने के लिए प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी व टी.आर.ए. ने अन्य किसी के आवेदन व आवंटन आदेश का कोई रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय में बतौर प्रमाण प्रस्तुत नही किया। उक्त वादग्रस्त भूमि का आवटन अगर अपीलांट को मीडियम पेच में किया जाता है तो राज्य सरकार को भी राजस्व का लाभ होगा। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19–11–2024 निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट को बतौर मीडियम पेच में किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

4. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस करते हुए कथन किय कि अपीलांट द्वारा अपने मीडियम पेच आवेदन पत्र में जिस भूमि का आवंटन करवाने का निवेदन किया है उक्त भूमि पूर्व में ही किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित हो चुकी है। इसलिए अपीलांट अब उक्त वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाने का अधिकारी नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपीलांट की खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 7 एस.एस.एम. तहसील पूगल हाल तहसील खाजूवाला के मुरब्बा नं. 67/18 के किला नम्बर 3 ता 6, 9 ता 12 में 6 बीघा 19 बिस्वा कमाण्ड व किला नम्बर 1, 2, 7, 8, 13, 14, 18 में 7 बीघा 12 बिस्वा कुल 14 बीघा 11 बिस्वा अनकमाण्ड कृषि स्थित है। अपीलांट के उक्त मुरब्बा नम्बर 67/18 के पास ही मुरब्बा नम्बर 67/10 में में किला नं. 1 ता 11, 13, 14 तादादी 3.2877 भूमि अराजीराज उपलब्ध होने पर अपीलांट द्वारा उक्त भूमि का आवंटन बतौर मीडियम पेच में करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट का आवेदन अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसका आधार यह लिया गया कि प्रश्नगत रकबा किसी अन्य को आवंटित है। जबकि अभिभाषक अपीलांट की मुख्य बहस यह रही कि प्रश्नगत रकबा अराजीराज है और आवेदन खारिज करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उक्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट की बिन्दू संख्या 10 में काटछाट करके पहले यह लिखा गया है कि प्रश्नगत भूमि अन्य को आवंटित नही है। फिर इसे काटकर "अन्य को आवंटन है" लिखा गया है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से यह भूमि अराजीराज होना प्रकट होता है। प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि का चिपता काश्तकार है। अपीलांट इस भूमि को मीडियम पेच में आवंटित करवाने हेतु एकमात्र आवेदक है। मौका रिपोर्ट अथवा अपीलाधीन आदेश में यह अंकित नही है कि यह जमीन पूर्व में किसे, कब व किन नियमो के तहत आवंटित की गई। यदि यह जमीन पूर्व में आवंटित की जा चुकी है तो जमाबंदी में अराजीराज दर्ज क्यो है? क्या पूर्व आवंटी द्वारा कब्जा नही लिया गया। अथवा पूर्व में किया गया आवंटन खारिज हो चुका है? पत्रावली पर इस संबंध में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है।

इस सूरत में अस्पष्ट व विरोधाभासी मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें आवंटन नियमो की पालना नही की गई है। अतः यह पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नही आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इन निर्देशा के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि यदि आराजीराज हो, किसी अन्य को आवंटित न हो, अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित न हो तो अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर